

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021—फाल्गुन 19, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2021

क्र. एफ-ए-3-61-2017-1-पाँच (16).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचनाओं क्रमांक एफ-ए-3-61-2017-1-पाँच (101) दिनांक 15 सितम्बर, 2017, एफ-ए-3-61-2017-1-पाँच (50) दिनांक 31 मई, 2018, एफ-ए-3-61-2017-1-पाँच (77), दिनांक 04 सितम्बर, 2018 एवं एफ-ए-3-61-2017-1-पाँच (21) दिनांक 11 फरवरी, 2019 को अधिक्रमित करते हुये राज्य स्तरीय एंटी प्रोफिटियरिंग छानबीन समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी है, अर्थात्:—

“(क) विशेष आयुक्त राज्य कर,”

“(ख) अपर आयुक्त सीजीएसटी कमिश्नरेट उज्जैन,”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2021

क्र. एफ-ए-3-61-2017-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-61-2017-1-पाँच (16), दिनांक 10 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10th March 2021

No. F. A-3-61-2017-1-V-(16).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 123 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 and in suppression of this department's Notification No. FA-3-61-2017-1-V (101) date 15th September 2017, Notification No. FA-3-61-2017-1-V (50) date 31st May 2018, Notification No. FA-3-61-2017-1-V (77) date 4th September 2018 and Notification No. FA-3-61-2017-1-V (21) date 11th February 2019, the State Government, hereby, constitutes the State Level Screening Committee consisting of following officers, namely:—

- “(a) Special Commissioner of State Tax
- (b) Additional Commissioner, CGST, Commissionerate, Ujjain”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.